

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय,

1, राजविहार चकराता रोड, देहरादून ।

पत्रांक 4809/एचक्यू/तकनीकी/क्रय नियम /2013 दिनांक 19 मई 2013

1- मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीकी/संचालन)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम  
देहरादून/काठगोदाम/टनकपुर ।

2- समस्त सहायक महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

3- सहायक लेखाधिकारी (आडिट)/ सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम  
देहरादून/काठगोदाम/टनकपुर

विषय :- क्रय नियमों के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में यह देखने में आ रहा है कि तीनों मण्डलों में क्रय किये जा रहे स्पेयर पार्ट्स में एकरूपता नहीं है, जिस कारण तीनों मण्डलों के स्पेयर पार्ट्स के क्रय करने हेतु वित्त नियंत्रक/प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा क्रय की कार्यवाही निम्नानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में स्पेयर पार्ट्स का क्रय तीन स्तर पर किया जायेगा :-

1- मुख्यालय स्तर पर

2- मण्डल स्तर पर

3- डिपो स्तर पर

1- मुख्यालय स्तर पर :- मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित आईटमों का क्रय किया जायेगा ।

1- चेसिस

2- बस बाडी निर्माण

3- बस सीट

4- नये टायर टयूब, फ्लैप

5- टायर रीट्रिडिंग मैटीरियल

6- बैट्री

7- लुब्रीकेंट

8- स्प्रिंग लीफ

9- वाहनों में लगने वाली मेजर एसैम्बली- इंजन, गेयर बाक्स, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल ।

10- विभिन्न प्रकार के टूल एण्ड प्लांट्स जैसे - जनरेटर, एयर कम्प्रेसर, वैल्विंग प्लांट, टैस्ट बैन्च इत्यादि ।

11- सक्त के अतिरिक्त अन्य कौपिटल हैड के आईटम ।

क्रमशः 2 पर -----



उक्त आईटमों का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार निम्न समिति के माध्यम से किया जायेगा :-

- 1- वित्त नियंत्रक
- 2- महाप्रबन्धक (प्रशासन)
- 3- महाप्रबन्धक (तकनीकी)
- 4- महाप्रबन्धक (संचालन)

उपरोक्त समिति की संस्तुति के आधार पर प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे जिसकी आपूर्ति मण्डलों द्वारा सीधे प्राप्त की जायेगी तथा मण्डलों द्वारा भुगतान हेतु मांग मुख्यालय प्रेषित की जायेगी जिस पर वित्त नियंत्रक एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की स्वीकृति के पश्चात मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीकी) के माध्यम से सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जायेगा ।

मुख्यालय स्तर से क्रय किये जाने वाले आईटमों का क्रय सामान्यतः 1 वर्ष की खपत की मात्रा के आधार पर किया जायेगा तथा डिलीवरी शिडयूल के अनुसार मण्डलों द्वारा सम्बन्धित आईटम की आपूर्ति प्राप्त की जायेगी ।

**2- डिपो स्तर पर :-** डिपो स्तर पर वाहनों को तत्काल आनरोड़ करने हेतु ऐसे स्पेयर पार्टस क्रय करने के लिये जो कि मण्डलीय स्तर पर क्रय नहीं किये जाते हैं अथवा मण्डलीय स्तर से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही मार्ग पर वाहन के ब्रेक डाउन होने की स्थिति में वाहन को तत्काल ठीक कराने हेतु 7 पैसे प्रति किमी के आधार पर धनराशि देय होगी जो कि मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीकी) के माध्यम से डिपो को उपलब्ध करायी जायेगी ।

डिपो स्तर पर स्पेयर पार्टस का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार निम्न समिति के माध्यम से किया जायेगा । समिति निम्नवत होगी :-

- 1- सहायक महाप्रबन्धक
- 2- कार्यशाला प्रभारी
- 3- वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार

डिपो स्तर पर प्रत्येक माह किये गये क्रय का विवरण एवं प्राप्त धनराशि का हिसाब अगले माह के प्रथम सप्ताह में मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीकी) को किया जायेगा जिसका परीक्षण मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा किया जायेगा ।

डिपो द्वारा, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी ।

डिपो स्तर पर क्रय किये जाने वाले क्रय अधिकतम एक सप्ताह की खपत के बराबर क्रय किये जायेंगे । डिपो स्तर पर सम्बन्धित आईटमों को क्रय करने से पूर्व मण्डलीय भण्डार में सामग्री न होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा ।

डिपो स्तर पर एक क्रयादेश अधिकतम रुपये 15000.00 (पन्द्रह हजार ) तक की सीमा के अन्तर्गत होगा ।

*me*



(3)

डिपो स्तर पर किये गये क्रय की समीक्षा प्रत्येक माह मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीक) द्वारा की जायेगी ।

मण्डलीय स्तर पर :- मण्डलीय स्तर पर क्रय 2 श्रेणियों में किया जायेगा :-

- 1- मुख्यालय द्वारा निर्धारित स्रोतों से क्रय ।
- 2- क्षेत्रीय स्तर पर मुख्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले कलपुर्जों के अतिरिक्त अन्य कलपुर्जों को क्रय करने हेतु ।

मुख्यालय द्वारा निर्धारित स्रोतों से क्रय :-

बसों में प्रयोग होने वाले विभिन्न आइटम को बस की सुरक्षा एवं महत्ता के आधार पर निम्न 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जिसके अनुसार श्रेणीवार स्रोतों का निर्धारण किया गया है :-

- 1- सेफटी किटकल आइटम
- 2- फंकसनल किटकल आइटम

1- सेफटी किटकल आइटम :-

क्र०	आइटम का नाम	क्रय स्रोत
1	मैकेनिकल / पावर स्टियरिंग एसेम्बलीज	वाहन निर्माता या ओ0ई0 आपूर्तिकर्ता से।
2	टाइराड एसेम्बली रिपेयर किट्स व पार्ट्स	वाहन निर्माता या ओ0ई0 आपूर्तिकर्ता से।
3	ब्रेक एण्ड ब्रेक पार्ट्स	वाहन निर्माता या ओ0ई0 आपूर्तिकर्ता से।
4	ब्रेकलाईनिंग व रिवेट्स	ओ0ई0 आपूर्तिकर्ता से / निर्माता फर्म से
5	किंगपिन, किंगपिन, रिपेयरकिट व कम्पोनेन्ट्स	वाहन निर्माता, ओ0ई0 आपूर्तिकर्ता से।
6	वेसल स्टैन्ड, इंजन एवं डिफरेन्शियल के हाई टेन्साइल बोल्ट एवं नट	वाहन निर्माता, ओ0ई0 आपूर्तिकर्ता से।
7	फ्यूल इंजेक्टर पाईप सेट्स	वाहन निर्माता, ओ0ई0 आपूर्तिकर्ता से।
8	व्हील बोल्ट्स, नट्स एंड एक्सल स्टड, इंजन एवं डिफरेन्शियल के हाई टेन्साइल बोल्ट एवं नट	वाहन निर्माता, ओ0ई0 आपूर्तिकर्ता से।

क्रमशः 4 पर -----

